किन्नर समुदाय की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक समस्याओं का समाज वैज्ञानिक अध्ययन :मथुरा जनपद के विशेष सन्दर्भ में

दयालबाग एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट (डीम्ड यूनीवर्सिटी) के अन्तर्गत
समाजशास्त्र एवं राजनीतिक विज्ञान विभाग पीएच०डी० की
उपाधि हेतु प्रस्तावित रूपरेखा

शोध निर्देशिका

डॉ० अन्जली सेठ (असि० प्रोफेसर)
विभाग समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान
समाज विज्ञान संकाय

शोधार्थी

हरीओम

समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान विभाग, समाज विज्ञान संकाय
दयालबाग एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट (डीम्ड विश्वविद्यालय)
दयालबाग आगरा – 282005
2020

प्रस्तावना :–

व्यक्तियों से मिलकर समाज का निर्माण होता है, और लैंगिक आधार पर समाज, महिला और पुरूष इन दो वर्गों में विभाजित होता है, लेकिन समाज का एक तीसरा वर्ग भी है, जिसे थर्ड जेण्डर कहा जाता है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार ट्रांसजेण्डर एक अम्ब्रेला पद है जिसमें से किन्नर समुदाय का अध्ययन किया जायेगा। किन्नर समुदाय का शब्द ऐसे मानव के लिए प्रयुक्त होता है जो लैंगिक रूप से न नर होते है, और न मादा। इस शब्द की सुनते ही हमारे मानस पटल पर समाज के ऐसे लोगों की छवि उभर कर आती है जो असमान्य दिखायी देते है। जिन्हे हम किन्नर हिजड़ा, मौसी, पवैया, छक्का, मेहला, नपुसंकलिंग, थर्ड जेंडर इत्यादि नामों से जानते है।

किन्नर को अंग्रेजी में यूनक (EUNUCH) कहा जाता है। यूनक (EUNUCH) शब्द ग्रीक भाषा के यूनुखोस (EUNOUKHÔ) से बना है जिसका अर्थ होता है 'रखवाली करने वाले' (Bed chamber attendent)।

वस्तुतः किन्नर समुदाय के लोग अपने आप को उस लिंग (Gender) के साथ जोड़ नही पाते जिसके साथ उसका जन्म हुआ होता है। इन जटिलताओं से उत्पन्न होने वाले तनाव की वजह से यह वर्ग 'जेंडर डिस्फोरिया' (Gender Dysphoria) का अनुभव करता है। इस स्थिति में शरीर और दिमाग के मध्य हमेशा असुविधाजनक सम्बन्ध बना रहता है। भारत में किन्नरों की चार शाखाऐं होती है। बुचरा, नीलिमा, मनसा तथा हंसा। बुचरा जन्मजात किन्नर होते है, क्योंकि ये जन्मजात न पुरूष न होते है न स्त्री होते है। नीलिमा किसी कारणवश स्वयं को हिजड़ा बनने के लिए समर्पित कर देते है। मनसा तन के स्थान पर मानसिक तौर पर स्वयं को विपरीत लिंग के अधिक निकट महसूस करते है। और हंसा शारीरिक कमी यथा नपुंसकता आदि के कारण बने किन्नर होते है। समाज में कुछ नकली किन्नर पाये जाते है, जिन्हें अबुआ कहा जाता है जो वास्तव में पुरूष होते है और धनलालच में ये किन्नरों का स्वांग रख लेते है। जबरन बनाये गये किन्नरों को छिबरा कहते है।

इनमें एक सामाजिक संगठन पाया जाता है। जिसमें प्रत्येक घर का एक मुखिया होता है जिसे नायक कहते है जो गुरू नियुक्त करता है। गुरू अपने शिष्यों को बधाई, गाना–नाचना सिखाता है। गुरू के

स्थान को गुरूधाम कहा जाता है। जहां धाम से जुड़े किन्नर कमाई का एक हिस्सा जमा करते है। भारतवर्ष में 450 गुरूधाम है।

वैश्विक फलक पर किन्नरों की चर्चा सतत होती रही है, तथा मानवाधिकार संगठनों की मांग पर विश्व के कई प्रगतिशील देशों में किन्नरों की कल्याण के लिए कानून बनाये जा रहे है, और सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ने का भरसक प्रयास किया जा रहा है।

संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (2015) के 17 लक्ष्यों में से 5 वें लक्ष्य में (एस.डी.जी–5) में लैंगिक समानता को हासिल करने की बात की है। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने 15 दिसम्बर 2011 को प्रथम बार एल.जी.बी.टी (लेस्बियन,गे,बाइसेक्सुअल,ट्रान्सजेंडर) लोगों के साथ भेदभाव व हिंसा को स्वीकार किया तथा 2012 तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने भी स्वीकार किया कि एल.जी.बी.टी समुदाय के साथ स्कूलों, नौंकरियो, अस्पतालों इत्यादि में भेदभाव व हिंसा होती है। अतः एल.जी.बी.टी समुदाय खुद को अकेला न समझे, आप लोगों पर किया गया हमला संयुक्त राष्ट्र पर किया गया हमला माना जायेगा। 2016 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने एल.जी.बी.टी समुदाय के प्रति भेदभाव व हिंसा कम करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय का गठन किया।

एतिहासिक पृष्ठभूमि – प्राचीन काल से ही किन्नर भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहे है। शपतथ ब्राह्मण में अश्वमुखी मानव शरीर वाले किन्नर का उल्लेख है। बौद्ध साहित्य में भी किन्नर की कल्पना मानवमुखी पक्ष में की गयी है। एक मान्यता है कि ब्रह्माजी की छाया से किन्नरों की उत्पत्ति हुई। हिमाचल का पवित्र शिखर कैलाश किन्नरों का प्रमुख निवास स्थान था, जहां वे भगवान शिव की सेवा किया करते थे। उन्हें देवताओं का गायक और भक्त माना जाता था, और ये यक्षो व गन्दर्भों की तरह नृत्य व गायन में प्रवीण होते थे। उनके सैकड़ों गण थे और चित्ररथ उनका प्रधान अधपति था। संस्कृत ग्रन्थों में किन्नरी वीणा का उल्लेख हुआ है।

रामायण के कुछ संस्करणों में लिखा है, जब राम अपने 14 वर्ष के वनवास के लिए अयोध्या छोड़ने लगे तब अपने साथ आ रहे स्त्री–पुरूष को वापस अयोध्या लौटने को कहते है लेकिन 14 वर्ष बाद लौटने पर किन्नरों को वही अपना इतंजार करते पाया, क्योंकि वे न तो स्त्री थे और न पुरूष थे। उनकी भक्ति से राम ने खुश होकर किन्नरों को वरदान दिया कि उनका आशीर्वाद हमेशा फलित होगा। तब से बच्चे

के जन्म और शादी जैसे शुभ अवसरों पर वे लोगों को आशीर्वाद प्रदान करते है। तभी से इनका नाम मंगलामुखी पड़ा।

मान्यता है कि किन्नरों की दुआएं किसी भी व्यक्ति के बुरे वक्त को दूर कर सकती है और यदि धन का लाभ चाहते है तो किसी किन्नर से एक सिक्का लेकर अपने पर्स में रखें।

अर्जुन और उलुपि के पुत्र अरावन को किन्नरों के अराध्य देव माना जाता है। महाभारत में जब पांडव एक वर्ष का अज्ञातवास काट रहे थे तब अर्जुन एक वर्ष तक किन्नर बृहन्नला बनकर रहे थे। भारत में शिखंडी को किन्नर माना गया है शिखंड़ी की वजह से ही अर्जुन ने भीष्म को युद्ध में हराया था।

हिमाचल का पवित्र शिखर कैलाश किन्नरों का प्रमुख निवास स्थान था, जहां वे भगवान शिव की सेवा किया करते थे। उन्हें देवताओं का गायक और भक्त माना जाता था, और ये यक्षो व गन्दर्भों की तरह नृत्य व गायन में प्रवीण होते थे। उनके सैकड़ों गण थे और चित्ररथ उनका प्रधान अधपति था। संस्कृत ग्रन्थों में किन्नरी वीणा का उल्लेख हुआ है।

इस प्रकार इतिहास के प्रत्येक काल में किन्नर समुदाय समाज का अभिन्न हिस्सा रहा है। मुगलों और नवावों के हरम में रानियों की देख–रेख व उनकी रक्षा के लिए किन्नर रखे जाते थे। हजार दीनारी नाम से प्रसिद्ध किन्नर मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को समस्त दक्षिणी राज्य जीत कर दिये। प्राचीन व मध्यकालीन भारत में जहां किन्नरों को आम पुरूषों एवं महिलाओं की तरह अधिकार प्राप्त थे, उन्हे समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था एवं योग्यतानुसार उनके कार्यों का निर्धारण किया जाता था वहीं अंग्रेजों के आगमन के साथ ही इनकी स्थिति दयनीय हो गयी। गे राइट एक्टिविस्ट अंजलि गोपालन इसके लिए अंग्रेजों के शासन को जिम्मेदार मानती है। सन् 1871 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार 'क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट' लेकर आयी जिससे इन पर कई प्रतिबन्ध लगाये गये तथा 1897 में इसमें संशोधन करते हुए इन्हे अपराधियों की कोटि में रखते हुए इन पर धारा 377 के अन्तर्गत इनके कृत्यों को गैर जमानती अपराध घोषित किया गया।

साहित्य की समीक्षा

माधव (2002) – नीरजा माधव ने अपनी पुस्तक 'यमदीप' में व्याख्यात्मक आंकड़ो के आधार पर बताया है कि भारतीय समाज में जब किसी घर में किन्नर का जन्म होता है तो उसे उसके घर से उसके माँ–बाप

ऐसे निकाल देते है कि जिंदगी भर उसकी शक्ल न देखनी पड़े। लेखक ने इसमें सांकेतिक भाषा में बताया है कि किन्नरों की सामाजिक स्थिति दयनीय है यमदीप की तुलना एक किन्नर से की गयी है तथा बताया है कि जिस प्रकार घर में एक अन्धे, लगड़े, बच्चा होने पर उसे प्यार से रखा जाता है लेकिन किन्नर बच्चे को अपनी घर से बहिस्कृत कर दिया जाता है। जैसे एक 'यमदीप' को घर के बाहर घूरे पर जलाने के लिए छोड़ दिया जाता है।

लेखक का कहने का तात्पर्य है कि किन्नरों का कोई सामाजिक रिश्ता नही होता, और न किन्नर के माता–पिता किन्नरों को अपनाते है। अर्थात् बताया गया है कि समाज के विकृत रूप को दर्शया है।

चक्रपानी और नरायन (2012) :– ने अपने लेख "लीगल रिकगनीशन ऑफ जेण्डर आइडेन्टिटी ऑफ ट्रांसजेण्डर पीपल इन इण्डिया : करेन्ट सिचुएशन एण्ड पोटेन्सियल ऑप्सन" में पांच शहरों दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर तथा मुम्बई के किन्नरों की सामाजिक विज्ञान का अध्ययन किया है। इस अध्ययन में किन्नर समुदाय से जुड़े विभिन्न सामाजिक आयाम लिये गये है।

यहाँ बताया गया है कि एक बीमार किन्नर को महिला वार्ड में इसलिए नहीं रखा जाता क्योंकि वहां महिलाऐं अपने आपकों स्वतंत्र महसूस नही करती जबकि पुरूष वार्ड उन्हें यौन प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। वहाँ द्वितीयक आंकड़ों द्वारा बताया गया है कि किन्नर समुदाय के लिए एक स्वतंत्र वार्ड की व्यवस्था होनी चाहिए।

यद्यपि भारत में तमिलनाडु तथा कर्नाटक राज्य में किन्नरों के कल्याणकारी योजनाऐं बनायी गयी और ये राज्य अन्य राज्यों के लिए उदाहरण है। अतः अन्य राज्यों में किन्नरों के लिए इस तरह की योजनाएं बननी चाहिए ताकि किन्नरों की सामाजिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव किया जा सके।

स्कॉब थाल (2014) – ने अपने लेख "थर्ड जेण्डर : अ शौर्ट हिस्ट्री में द्वितीयक आंकड़ों के माध्यम से किन्नरों की वैश्विक स्तर पर ऐतिहासिक स्थिति का उल्लेख किया है। जैक ने द्वितीयक आंकड़ों के आधार पर बताया कि दक्षिण एशिया में किन्नर समुदाय को किन्नर, थाइलेण्ड में कठोय्स (cathoeys) तथा मेक्सिको में मुक्सस (muxes) कहा गया है।

385–380 ई० पू० प्लेटों ने वास्तविक मानवीय प्रकृति में ही तीसरे लिंग को शामिल किया था। मनुस्मृति (200 ई0 पू0) में बताया कि जब महिला व पुरूष के बीजों की बराबर भागीदारी होने पर किन्नर बच्चे

का जन्म होता है 1860 में जर्मन थिंकर ने होयो सेक्सुअलटी सिद्धांत में बताया कि जब महिला आत्म पुरूष शरीर में होता है। तो वह तृतीय लिंग कहलाता है। इस अध्ययन में पाया गया कि भारत में उच्चतम न्यायालय ने किन्नर समुदाय को एक नयी पहचान दी है। किन्नर समुदाय को शिक्षा तथा नौकरियों में आरक्षण दिया गया है। तथा इससे किन्नरों की परिस्थतियों में सुधार की सम्भावना बढ़ी है।

शर्मा और पाल :– (2014) ने अपने लेख " ट्रांसजेण्डर इन इण्डिया एलिमेन्टिड फ्रोम दि सोसाइटी" में बताया कि ट्रांसजेण्डर समुदाय को 2014 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये फैसले के बाद मिले अधिकारों की बजह से समाज में बदलाव आया है यद्यपि शिक्षा व रोजगार में सहभागिता न होने से किन्नर समुदाय मुख्य धारा में नही आ पाया है। इस लेख में द्वितीयक आंकड़ों के आधार पर बातया गया है। किन्नर समुदाय पर ज्यादातर शोध उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप में हुए है। केवल 7 प्रतिशत शोध एशिया में हुए है। इसलिए किन्नर समुदाय की समाज विज्ञान स्थिति में मामुली सुधार हुआ है।

भारत में 2005 में पहली बार पासपोर्ट फॉर्म में दो लिंगों (महिला व पुरूष) के अलावा तीसरी लिंग का विकल्प आया। 2009 में महिला व पुरूष के अलावा (other) 'अन्य' विकल्प वोटर कार्ड में दिया गया। लेकिन ट्रांसजेण्डर समुदाय के पास कोई औपचारिक रोजगार न होने के कारण ये जीवनयापन के लिए शादियों में नाचगान तथा ट्रेन इत्यादि में भीख मांगते है। वास्तविकता जाहिर की गयी है कि जब तक ट्रांसजेण्डर समुदाय मुख्य धारा में शामिल नही होगा तब तक उसका सामाजिक, आर्थिक विकास नही हो सकता।

फेलिक्स (2014) – ने अपने लेख " ट्रांसजेण्डर एण्ड आवर सोसाइटी" में द्वितीयक आंकड़ों द्वारा बताया कि भारत में 2012 में 53 प्रतिशत किन्नर महिलाओं की हत्या की गयी। ट्रांसजेण्डर लोग बेरोजगारी की वजह से तीन चौथाई ज्यादा गरीबी मे जीते है। बहुत सारे ट्रांसजेण्डर समुदाय के लोग बहुस्तरीय अस्वीकार्यता के कारण आत्महत्या कर लेते है।

इस लेख में द्वितीयक आकंडो द्वारा बताया गया है कि किन्नरों में सबसे बड़ी समस्या पहचान की है। वह मानते है कि वे सामान्य प्राणी नही है। यह खुद को विश्वास दिलाने में सारी जिन्दगी निकल जाती है। क्योंकि उनका मन शरीर से मेल नही खाता तथा परिवार के लोग ये बात समझते नही है। बड़े होते होते समाज में उनका शारीरिक उत्पीड़न शुरू हो जाता है। अतः समाज का दायित्व है कि वो किन्नरों

की पहचान का सम्मान करें। तथा उनके साथ उचित व्यवहार करें। साथ ही परिवार को किन्नर बच्चों को अन्य बच्चों की तरह अपनाना चाहिए। शिक्षा मानवीय मूल्यों तथा मानसिक विकास के लिए आवश्यक है। अतः किन्नरों तक शिक्षा की पहुंच होनी चाहिए।

इस लेख में मूलरूप से किन्नर समुदाय की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक स्थिति की चर्चा की गयी है।

रॉय (2015) लेख 'दि' "रोड लुक्स लोंग फोर थर्ड जेण्डर" – में बताया कि जब 2014 में किन्नर समुदाय अधिकार बिल राज्य सभा में पास होकर लोकसभा में पहुँचा लेकिन उस समय क्या बदलाव आया? वैश्ना रॉय एक खुद किन्नर है। उन्होनें बताया कि 7 वर्ष पहले एक रोज वेंकटेशन नामक किन्नर समुदाय से मिले जो एक तमिल टी.वी होस्ट ली और सर्जरी के बाद एक महिला बन गयी तथा अब विप्रो कम्पन्नी में स्किल ट्रेनर है। NLSA अधिकार मिलने के बाद केन्द्र ने राज्यों को नोटिस दिये कि 1000/– प्रति महीने किन्नर समुदाय के पिता को दिये जाये 7 वीं से 10वीं कक्षा के लिए छात्रवृत्ति तथा उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति इत्यादि लेकिन ज्यादातर राज्यों ने ये लागू नही किये। तमिलनाडु में 1000/' प्रति महीने पेंशन लागू की है तथा कल्याणी बोर्ड नाश्रित किया वार्ड में महाराष्ट्र व पश्चिमी बंगाल ने भी कल्याणकारी वोर्ड गठित किये। कर्नाटक ने भी 500/– प्रति महीने पेंशन शुरू की है ताकि माता–पिता अपने किन्नर बच्चे को घर न निकाले। बिहार व बंगाल में नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया गया है।

डॉ रामकृष्णन ने बताया कि 80 प्रतिशत किन्नर समुदाय भीख मांगते है। यौनकर्नी किन्नर समुदाय गोमती कहती है कि हम आपसे IAS की नौकरी नही मांगते, हमे आप सिर्फ सफाई कर्मी या अटेण्डेन्ट बना दे। तमिलनाडु में AIDS जागरूकता के लिए आगनवाड़ी में TB और मेडीकल बीमा में शुरूआत की है इस लेख में यह भी बताया गया है कि कुछ बड़ी सर्जरी की सुविधा भारत में नही है साथ ही वह बहुत मंहगी है। इस पूरे लेख में किन्नर समुदाय की मानवीय व सामाजिक भावनाओं की बात की गयी है।

अथरिय (2015) – ने अपने लेख 'दि लाइफ ऑफ ट्रांसजेण्डर इन इण्डिया' में बताया गया है कि आजकल भारत में किन्नर समुदाय समाज में काफी नाम कमा रहा है जैसे कल्कि सुब्रामन्यम ने सहोदरी फाउन्डेशन स्थापित किया जोकि एक किन्नर समुदाय की सहायता हेतु काम करता है। पदमिनी प्रकाश

– एक कथक किन्नर नृत्यागंना है, और मिस ट्रांसजेण्डर ऑफ इण्डिया के साथ ही एक न्यूज चैनल एंकर है। मधुवाई किन्नर – रायगढ़ की लोक नृत्यांगना है। भारती – धर्मशास्त्र में स्नातक, तथा शादीया कराती है। मनवी बन्धोपाध्याय – 'एन्डलेस बोन्डेज' बेस्ट सेलर उपन्यास की लेखिका जोकि ट्रांसजेण्डर समुदाय पर आधारित है, तथा मानवी एक एसोशियेट प्रोफेसर है तथा बाद में एक महिला विद्यालय की प्रिसीपल बनी। निष्कर्षतः बताया गया है कि किन्नर अन्य इंसानों की तरह प्रकृति के ही भाग है अतः उनके साथ मानवीय भेद–भाव नही होना चाहिए तथा सभी को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए, जीयो और जीने दो का भाव होना चाहिए।

बब्बर :– (2016) ने अपने लेख "दि सोशियो लीगल एक्सप्लोयटेशन ऑफ दी थर्ड जेंडर इन इण्डिया" में प्राथमिक व द्वितीयक आकड़ों के आधार पर बताया है कि भारत में ट्रांसजेण्डर समुदाय का विभिन्न तरीकों से सामाजिक तथा कानूनी उत्पीड़न हो रहा है। 1960 तक केवल दो लिंगों की बात होती थी महिला तथा पुरूष 1968 में रोबर्ट स्टोलर ने सर्वप्रथम लिंग पहचान की बात की। तमिलनाडु सरकार ने ट्रांसजेण्डर समुदाय के लिए कल्याणकारी योजनाए चलाई। उनके लिए इंडस्ट्री शुरू करने के लिए अतिरिक्त सहायता की बात की गयी। लेकिन शिक्षा की कमी तथा रोजगार की कमी के कारण बहुसंख्यक किन्नर वैश्यावृति में लिप्त हो जाते है, तथा एच.आई.वी (HIV) से घृषित हो जाते है। ट्रांसजेण्डर समुदाय में केवल 46 प्रतिशत साक्षरता है जोकि तुलनात्मक रूप में भारत की साक्षरता 74 प्रतिशत से काफी कम है।

94 प्रतिशत किन्नरों में न्याय के प्रति फोविया होता है कि जब वे न्याय के लिए आवाज उठायेंगे तो उनके खिलाफ फब्तियां कसी जायेंगी। ज्यादातर किन्नर न्याय के लिए पुलिस के पास नही जाते क्योंकि वहाँ पर उन्हें अपमानित किये जाने का भय रहता है। अन्त में लेख में यह बताने कि कोशिश की है कि ट्रांसजेण्डर समुदाय को अभी काफी लम्बा सफर तय करना होगा। जोकि बहुत कठिन है।

चौधरी, भूतरा, तथा पाठक :– (2016) शोध "सोशल इन्क्ल्शन ऑफ ट्रांसजेण्डर पोपुलेशन इन इण्डिया इस कॉमन पीपल पर्सपैक्टिव" यह प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित है। इस अध्ययन में इन्होंने पाया उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये 2014 में फैसले के बाद किन्नरों के प्रति समाज में सकारात्मक बदलाव आया है, तथ समाज में किन्नरों के प्रति स्वीकार्यता बढ़ी है।

कलकत्ता तथा जयपुर शहर के कुल 72 आंकड़े लिये गये है। कलकत्ता पूर्वी भारत में जबकि जयपुर पश्चिमी भारत में स्थित है। इस शोध में चार पैरामीटर–आयु, लिंग, शिक्षा तथा व्यवसाय के आधार पर अध्ययन किया गया है। कलकत्ता व जयपुर की अलग–अलग सामाजिक–सांस्कृतिक पहचान होने के कारण इनका चुनाव किया गया है।

निष्कर्ष रूप में किन्नरों को मिले आरक्षण में समाज की सहमति है तथा माना गया है कि किन्नर समुदाय के लिए अलग से स्कूल होने चाहिए तथा बुद्धिजीवी लोग चाहते है कि किन्नरों को मुख्य धारा में शामिल होना चाहिए साथ ही यह भी मानते है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया फैसला किन्नरों के उत्पीड़न रोकने के लिए पर्याप्त नही है।

अतः अल्पसंख्यक ट्रांसजेण्डर समुदाय समाज के बहुसंख्यक लोगों की सकारात्मक सोच के बदलाव पर निर्भर है। लेकिन सामाजिक स्वीकार्यता में उच्चतम न्यायालय के फैसले को समाज स्वीकार करता है।

दास (2016) देविना ने अपने लेख "दि ट्रांसजेण्डर सिटीजनरी इन इण्डिया : एक्टरर्स ऑन ए फिल्मसी ग्राउण्ड एण्ड दि लीगल लेक्यून" में ट्रांसजेण्डर समुदाय की कई श्रेणियाँ बतायी है। हिजड़ा, अरावनी, कोठीस, जोगतास तथा शिवशक्ति इत्यादि 2014 के नेशनल लीगल सर्विस अथोरिटी (National legal service authority) V/s यूनियन ऑफ इण्डिया केस में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राधाकृष्णन तथा सीकरी के मील के पत्थर फैसले से ट्रांसजेण्डर समुदाय को तीसरे लिंग का विकल्प मिला, एक पहचान मिली। कानून के समक्ष समानता मिली। (अनु 14, अनु 21) तथा भारत के अन्य नागरिकों की तरह सारे संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुए।

NLSA फैसले के बाद ऐसा नही कि किन्नर समुदाय की सामाजिक स्थित पूर्णतः बदल गयी है। इसके बावजूद शिक्षा की समस्या, रोजगार की समस्या, मानवाधिकार हनन की समस्या तथा सबसे बड़ी सबसे बड़ी समस्या थी मनोवैज्ञानिक समस्या। अर्थात् अपनी वास्तविक पहचान को स्वीकार करना जिससे सामाजिक स्वीकृति मिल सके। इसके लिए कुछ उपाय सुझाये गये है। समलैंगिक शादी को मान्यता दी जानी चाहिए।

(IPC धारा–377 का विलोपन) पुलिस प्रशासन को किन्नरों की प्रति प्रशक्षित किया जाना चाहिए। किन्नरों को मुफ्त में कानूनी सलाह मिलनी चाहिए। CBSE, UGC और NCVT को शिक्षा में किन्नर

समुदाय के कुछ छूट देनी चाहिए, तथा इनके लिए अलग से स्कूल होने चाहिए। साथ ही रोजगार परक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षा का अधिकार (write to education) लागू होना चाहिए।

गुप्ता और राजन (2016) – इस लेख 'दि' "सोशियोइकोनोमिक स्टेट्स ऑफ किन्नर समुदाय पीपुल इन इण्डिया" में उत्तरी व पश्चिमी भारत में ट्रांसजेण्डर समुदाय को 'हिजड़ा' कहा जाता है। जीवनयापन के लिए हिजड़ा भीख मांगना, नाचना और यौनकर्मी बनते है। किन्नर समुदाय में HIV संक्रमिक लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। साथ ही अध्ययन बताता है इनका पुलिस भी उत्पीड़न करती है।

कई योजनाओं तथा सांस्कृतिक बदलाव के कारण किन्नर समुदाय का सशक्तीकरण हो रहा है। सामाजिक आर्थिक बदलाव के कारण इनकी स्थिति में काफी सुधार हुआ है भारत में पहली किन्नर मेयर, पहली पुलिस अफसर, पहली किन्नर निर्देशक, पहली मेट्रों रेल प्राधिकारी (कोच्चि) बनी।

हुसैन (2017) – ने अपने लेख "पैराडोक्स ऑफ रिकगनीशन" : हिजड़ा थर्ड जेण्डर एण्ड सेक्सुअल राइट्स इन बांग्लादेश में बांग्लादेश के हिजड़ा समुदाय के अधिकारों की बात की गयी। बांग्लादेश में 2013 में किन्नर समुदाय को तृतीय लिंग में रखा गया। 2015 में सामाजिक कल्याण मंत्रालय ने 14 किन्नरों को बाबू नियुक्त किया लेकिन जब उनका मेडीकल किया गया तो उनमें से कुछ पुरूष निकले अतः बांग्लादेश में कुछ पुरूष किन्नरों के भेष में मिलते है। जिससे उनकी वास्तविक संख्या पता नही है। ढ़ाका में हिजड़ा समुदाय कामगार एरिया में रहते है। प्राथमिक आंकड़ों के आधार पर बताया गया है कि यहां गे या लेस्वियन मध्य और उच्च वर्ग में मिलते है वहीं किन्नर समाज निम्नतम पायदान पर मिलता है।

त्रिअन्नी (2017) – ने अपने लेख मैन मेम एण्ड हिजड़ाः इण्डिया रिकगनाइजेज थर्ड जेण्डर' में भारत थर्ड जेण्डर की पहचान या तो पुरूष या महिला के रूप में की गयी है लेकिन यह बदलने वाला है। उच्चतम न्यायालय द्वारा किन्नर समुदाय की तीसरे लिंग में रखा है, तथा समाज में सबको समान अवसर देने की बात की है।

भारतीय चुनाव आयोग ने तीसरे लिंग को 'अदर' विकल्प के तौर पर नामाकंन की बात की है और लगभग 30 हजार किन्नर समुदाय ने चुनाव आयोग में 'अंदर' श्रेणी में नामांकन कराया है। भारत पहला

देश नही है जिसने किन्नर समुदाय को तीसरे लिंग में रखा है, नेपाल तथा बांग्लादेश भी भारत के समान ही विधान बनाया है।

मेन्डोज (2017) – लोला मेन्डोज ने अपने लेख "हेयर्स ह्वाट दि वर्ल्ड कुड लर्न फ्रोम इण्डियाज थर्ड जेण्डर एसप्टेंस" में 'द्वितीययक आंकड़ों के द्वारा बताया है, कि भारतीय उपमहाद्वीप के देशों में जैसे नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश में ट्रांसजेण्डर सशक्तीकरण आन्दोलन चलाये जा रहे है। यहां बताया गया है कि भारत में भगवान शिव के अर्द्धनारीश्वर रूप की बात की गयी है। भारत में एतिहासिक रूप में किन्नर समुदाय बच्चों के जन्म के समय और शादियों में आशीर्वाद दिये जाने की उल्लेख मिलता है।

भारत में लिंग समानता पर पहला कदम 2009 में निर्वाचन आयोग द्वारा लिया गया जिसमें किन्नर समुदाय को 'अदर्स' (other) विकल्प के साथ 'मत' डालने का अधिकार मिला। 2011 में पहली बार जनगणना में ट्रांसजेण्डर्स को शामिल किया गया। इसमें बताया गया है कि ट्रांसजेण्डर समुदाय को रोजगार तथा शिक्षा में आरक्षण मिलना चाहिए। स्थानीय सरकार से मांग की जा रही है कि ट्रांसजेण्डर समुदाय के लिए सार्वजनिक प्रसाधन सुविधा उपलब्ध करायी जाय। हाल ही में केरल में सहज इण्टरनेशनल स्कूल पहला आवासीय स्कूल ट्रांसजेण्डर के शुरू किया गया। सहज इण्टरनेशनल किन्नर के लिए नये कोर्स शुरू कर रहा है। मुम्बई में माधुरी सरोद नामक किन्नर ने जयकुमार शर्मा नामक व्यक्ति से हिन्दू गीत रिवाज से शादी की यद्यपि किन्नर समुदाय में सकारात्मक बदलाव आ रहे है, लेकिन उनकी गति काफी धीमी है।

डेनिला (2017) ने अपने लेख – 'दि चेंजिंग सोशल स्टेट्स ऑफ इंडियाज हिजड़ा कम्युनिटी' में बताया है कि भारत मे हिन्दुओं के पवित्र ग्रन्थों में किन्नर शादियों और बच्चे के जन्म पर आर्शीवाद देते थे। लेकिन ब्रिटिश राज में इनकी स्थिति काफी कमजोर हुई। 2014 में पहली बार उच्चतम न्यायालय में किन्नर समुदाय को कानूनी रूप से तीसरे लिंग की संज्ञा दी। इस शोध में बताया गया है कि अभी भी 80 प्रतिशत जीवन यापन के लिए भीख मांगते है तथा शादियों में व बच्चों के जन्म पर नाच गाना करते है, तथा कुछ किन्नर वैश्यावृत्ति में लिप्त हो जाते है। लेकिन कुछ अपवाद भी है जैसे के प्रतिका याशिनी पहली पुलिस अफसर (भारत की पहली ट्रांसजेण्डर) तथा मानवी बंधोपाध्याय (भारत की पहली ट्रांसजेण्डर महिला जिसने पीएच0डी0 की)।

यद्यपि सामाजिक बदलाव अचानक नही होते है ये एक प्रक्रिया है। जो निरन्तर चलती रहती है, इस सत्त प्रक्रिया से इस समाज में किन्नर समुदाय के प्रति लोगों की सोच में बदलाव आया है। किन्नर समुदाय शुरू से ही नाचने गाने की कला के करीब रहा है। 2015 में पहला ट्रांसजेण्डर बेण्ड–6 पैक बेण्ड बना इस बेण्ड ने 5 हिट दिये और इन्हे 25 मिलियन यू–ट्यूब व्यूज़ मिले और उन्होनें ग्रान्ड प्रिक्स ग्लास लॉइन अवार्ड जीता और कुछ वर्षों बाद हम महसूस करेंगे कि किन्नर समुदाय समाज की मुख्य धारा में आ गया है।

घोस :– (2017) ने अपने लेख "रिप्रजेन्टशन ऑफ दि हिजड़ा : नीड फोर सोशल वर्क इन्टरवेंशन" में बताया कि भारतीय पुरूष प्रधान समाज में किन्नर समुदाय के साथ हमेशा से भेदभाव व उत्पीड़न होता रहा है। द्वितीयक आंकड़ों के आधार पर बताया गया है कि टेलीविजन भारतीय समाज का जीवन दर्शन प्रस्तुत करती है। अतः टेलीविजन पर अच्छा जीवन दृश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए लेकिन टेलीविजन पर किन्नरों की नकारात्मक छवि प्रस्तुत की जाती है, तथा उसी अनुरूप फिल्मों में किन्नरों की नकारात्मक छवि बनायी जाती है योगेश भारद्वाज निर्देशित फिल्म 'शबनम मौसी' (2005) में देश की पहली किन्नर विधायक को दिखाया गया एक अन्य फिल्म 'दायरा' (1996) ये फिल्मों बॉक्स ऑफिस पर असफल रही क्योंकि इनकों दर्शक नही मिले। सामान्यत फिल्मों में या नाटकों में किन्नरों को गलत तरीके से पेश किया जाता। अर्थात् उन्हे मुख्य–धारा का पात्र दिखाया ही नही जाता है। अतः मुख्य धारा में आने के लिए किन्नर समुदाय सामाजिक नियम में तथा शिक्षा तथा रोजगार में अपनी भागीदारी बढ़ानी होगी इसके लिए सरकारी योजनाएं और आनी चाहिए।

वस्तुत। किन्नर समुदाय को कुछ मूलभूत अधिकार जैसे राशन कार्ड, मतदान, शादी का अधिकार, बच्चा गोद लेने का अधिकार, बैंक में खाता खोलने का अधिकार मिलना चाहिए सामान्य जीवन में किन्नर हर स्तर पर अपमान झेलते है। किन्नर कार्यकर्त्ता लक्ष्मी नरायण त्रिपाठी का मानना है कि दिल्ली सल्तनत तथा मुगल काल की तरह यदि हमें ट्रेनिंग दी जाय तो ट्रेन या बस या सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा अच्छे से कर सकते है।

अगरवाल :– ने अपने लेख 'सिविल एण्ड पोलिटिकल राइट ऑफ ट्रांसजेण्डर इन इण्डियन कौन्सीटूशनल पर्सपेक्टिव' में बताया कि सरकार का मुख्य उद्देश्य समाज में न्याय समानता तथा एकता

है। इस लेख में द्वितीयक आकड़ों से यह बताने की कोशिश की गयी है कि जो वर्तमान प्रोवीजन है वो किन्नर समुदाय के लिए अपर्याप्त है। तमिलनाडु सरकार का रॉल इस समुदाय के लिए सराहनीय है। तथा 2014 का उच्चतम न्यायालय का फैसला सराहनीय है जिसमें किन्नर समुदाय को थर्ड जेण्डर की पहचान दी गयी है। यद्यपि किन्नर के साथ उत्पीड़ सामान्य हो गया है। क्योंकि उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति कमजोर होती है। इसलिए कुछ किन्नर वैश्यावृत्ति में लिप्ट हो जाते है।

यद्यपि 2014 के उच्चतम न्यायालय के फैसले से स्थिति में बदलाव आया है लेकिन समाज का व्यवहार किन्नर के प्रति ज्यादा नही बदला है। संविधान में अनुच्छेद अनु0 15 (2) तथा अनुच्छेद 16 (4) सामाजिक न्याय व समानता की बात की है, तथा अनुच्छेद 21 में मानवीय अस्मिता की बात की जाती है। 1986 में आये Immoral traffic prevention Act (ITPA) 1986 में महिला खरीद फरोख्त वैश्यावृत्ति प्रतिवंधित करता है। पुलिस आई0पी0सी0 धारा 377 का दुरूपयोग करती है। लेकिन 2009 में दिल्ली उच्चन्यायालय एल0जी0बी0टी0 (लेस्वियन, गे, वाईसेक्सुअल, ट्रांसजेण्डर) के पक्ष में फैसला दिया, कि अब आई0पी0सी0 धारा–377 अपराधिक नही है यद्यपि NLSA फैसले के बाद ट्रांसजेण्डर समुदाय को एक पहचान मिली इससे उन्हें शिक्षा व रोजगार में कोटा मिला। अतः कानूनी रूप से तो किन्नरों को अधिकार मिल गया है अतः सामाजिक अधिकारों में भागीदारी मिलनी चाहिए तभी यह समुदाय मुख्य धारा में शामिल हो पाएगा।

पाराशर (2017) : ने अपने लेख "इनक्लूशन ऑफ ट्रांसजेण्डर कम्युनिटी विधि इन सोशयली एण्ड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेसः एक्जामिनिंग दि डीपर कन्सर्न" में बताया कि किन्नर समुदाय सामाजिक भेदभाव से पीड़ित है। लेकिन अप्रेल 2014 में उच्चतम न्यायालय ने अपने लेण्डमार्क फैसले NLSA (National Legal Service Authority) V/s Union of India न्यायमूर्ति राधाकृष्णनन तथा डॉक्टर ए.के. सीकरी ने किन्नर समुदाय को संविधान के भाग–3 के तहत नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान किये। तथा ट्रांसजेण्डर समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग (Other Backward Classes) में रखा गया जिससे उन्हें अन्य लोगों की भांति रोजगार व शिक्षा संस्थानों में आरक्षण प्राप्त हुआ। साथ ही हिजड़ा, यूनक, अरावनी, और थिरूनंगी, कोठी जोगतास, जोगप्पा, शिवशक्ति आदि को महिला व पुरूष से अलग तृतीय

लिंग (Third gender) में रखा गया। लेखक के अनुसार आरक्षण देने से पूर्व किन्नर समुदाय तथा अन्य लोगों के मध्य जो बड़ा गैप है उसे समाप्त किया जाना चाहिए।

किन्नर लगातार विभिन्न भेदभाव के शिकार है। अतः उन्हे मूलभूत जरूरतों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगार के द्वारा उन्हें मुख्य धारा में लाया जा सकता है, तथा बताया गया है कि NLSA बिल में किन्नर समुदाय की परिभाषा उपयुक्त नहीं है अतः किन्नर समुदाय में लेस्वियन, गे, वाइसेक्सुअल, ट्रांसजेण्डर को शामिल किया जाना चाहिए।

सावन्त (2017) – (2017) "ट्रांसजेण्डर : स्टेट्स ऑफ इण्डिया" लेख में डॉ0 नीना सावन्त ने भारत में मुगल काल से लेकर समकालीन ट्रांसजेण्डर समुदाय की स्थिति का अध्ययन किया है। पेशे से डॉक्टर नीना सावन्त ने द्वितीयक आंकड़ों के माध्यम से बताया कि ट्रांसजेण्डर समुदाय में हिजड़ा, यूनक, कोठीस, अरवानीस, जोगप्पास, शिवशक्ति इत्यादि शामिल है, तथा ये सभी भारतीय समाज के हिस्सा रहे है।

वैदिक एवं पौराणिक साहित्य में किन्नरों के लिए तृतीय प्रकृति तथा नपुसंक शब्द प्रयोग किया गया है, तथा अंग्रेजी में यूनक शब्द यूनेखोस (EUNEUKHOS) से बना है। जिसका अर्थ है रखवाली करने वाला (Bed chamber attendent)। उच्चतम न्यायालय द्वारा 2014 में दिया गया फैसला किन्नर समुदाय के लिए मील का पत्थर साबित हुआ जिसमें किन्नर समुदाय को महिला व पुरूष लिंग से अतिरिक्त अलग वर्ग 'अन्य' (Other) प्रदान किया अर्थात् यह फैसला किन्नरों को उनकी पहचान दिलाने वाला था। इस फैसले से किन्नरों को सामाजिक व राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए। अब भारत सरकार किन्नरों के लिए कई कल्याणकारी योजनाए लायी है। जिससे किन्नरों की स्थितियों में सुधार हो रहा है।

अय्यर (2017) ने अपने लेख "थर्ड जेण्डर एण्ड दि इंडियन लॉ–अ ब्रीफ हिस्ट्री" में ट्रांसजेण्डर समुदाय की सामाजिक स्थिति का वर्णन किया है, तथा उनके साथ हो रहे भेदभाव की बात की है। द्वितीयक आंकडों के द्वारा भारतीय परिप्रेक्ष्य में बताया गया है कि मुगल काल में किन्नरों की स्थिति अच्छी थी तथा दिल्ली सल्तनत में किन्नर मलिक काफूर ने पूरा दक्षिण अलाउद्दीन खिलजी को जीत कर दिया था। लेकिन ब्रिटिश काल में किन्नर समुदाय की सामाजिक स्थिति दयनीय होती चली गयी।

2009 में भारतीय चुनाव आयोग ने किन्नर समुदाय को महिला व पुरूष से अलग 'अन्य' (Other) विकल्प में रखा है, तथा 2014 में उच्चतम न्यायालय द्वारा आया फैसला ट्रांसजेण्डर समुदाय के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ, तथा दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा IPC धारा–377 में बदलाव को किन्नर अच्छा माना गया। क्योंकि IPC धारा–377 अब अपराधिक नही रह गया था।

राव और हेंगसिंग (2018) – लेख "सोसियो–कल्चरल एक्सक्लुशन एण्ड इन्क्लूशन ऑफ ट्रांसजेण्डर इन इण्डिया" में भारत में ट्रांसजेण्डर समुदाय की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति का मूल्यांकन किया गया है। मिश्रित पद्धति द्वारा किन्नर समुदाय की सामाजिक सहभागिता का अध्ययन किया गया है। ऐतिहासिक रूप से देखे तो सर्वप्रथम सतपथ ब्राहमण में उन लोगों का वर्णन है जो न स्त्री न पुरूष श्रेणी में आते है। तमिलनाडु में मान्यता है कि किन्नर समुदाय ने विष्णु से शादी रचाई थी। महाभारत में भी ट्रांसजेण्डर समुदाय का वर्णन मिलता है। जिसमें अर्जुन वृहन्नला बना था, तथा शिखण्डी का उल्लेख मिलता है। इस लेख में बताया गया है कि प्रथमवार 2011 में ट्रांसजेण्डर समुदाय की जनगणना में हुई। लेकिन किन्नर समुदाय की कुछ मूल–भूत समस्याऐं है। जैसे– किन्नर समुदाय को बीमारी के दौरान महिला वार्ड या पुरूर्ष वार्ड में, से किस वार्ड में रखा जाए? या उनके लिए सार्वजनिक प्रशाधनों की समस्या आदि का अध्ययन किया गया है। दूसरी तरफ किन्नर समुदाय शादी नही कर सकता। बच्चा गोद नही ले सकता। तथा साथ ही इस लेख में बताया गया है कि तमिलनाडु में किन्नर समुदाय के लिए समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की गयी है। वहाँ पर 2003 में किन्नर समुदाय द्वारा जीती जिताई पोलिटिक्स (JJP) पार्टी बनायी गयी है। एम.पी में भी विधान सभा में शबनम मौसी पहली किन्नर विधायक बने।

किन्नर समुदाय के लिए कुछ कल्याणकारी योजनाऐं भी शुरू की गई है। जैसे मुफ्त घर, कॉलेजों में प्रवेश और छात्रवृत्ति की सुविधा, स्वयं सहायता समूह बनाने में सहायता, केरला में कच्चि मेट्रों में 500 नौकरीयां किन्नर समुदाय को दी गयी है। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने किन्नर समुदाय 1500 रूपये पेंशन की सुविधा दी है।

भण्डारी (2018) – ने अपने लेख मार्जिनलाइजेशन ऑफ किन्नर समुदाय इन इण्डिया में द्वितीयक आंकड़ों द्वारा भारत में ट्रांसजेण्डर समुदाय की सामाजिक स्थिति का अध्ययन किया है। लक्ष्मी नरायण

त्रिपाठी ट्रांसजेण्डर समुदाय अधिकार कार्यकर्त्ता ने बताया कि मैं एक सामान्य बच्चा थी लेकिन इस विश्व ने मुझे अलग बनाया। कल्कि सुब्रामण्यम ने कोच्चि में पहला ट्रांसजेण्डर समुदाय स्कूल खोला सहज इण्टरनेशनल।परिवार और समाज से बहिस्कृत होने के कारण इस समुदाय को शिक्षा स्वास्थ्य तथा सार्वजनिक स्थानों पर भी परेशानी झेलनी पड़ती है। फिल्मों तथा टी.वी पर भी किन्नरों का नकारात्मक चरित्र दिखाया जाता है। तमन्ना फिल्म में परेश रावल ने एक ट्रांसजेण्डर समुदाय का रोल निभाया था। वास्तविकता यह है कि फिल्मों को चलाने के लिए निर्देशिक ट्रांसजेण्डर समुदाय की गलत तस्वीर पैश करते है। समाज में किन्नर समुदाय में जागरूकता बढ़ने से स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है।

अतः टीवी तथा फिल्मों समाज का आइना होती है लेकिन सामाजिक बदलाव चलता रहता है।

गैटलमैन (2018) – ने 'दि' न्यूयार्क टाइम्स' अखवार में लेख "दि पैकलर पाजीशन ऑफ इण्डियाज थर्ड जेण्डर" बम्बई के किन्नर समुदाय की सामाजिक व मानसिक स्थिति का अध्ययन किया हैं बताया गया है भगवान राम के समय किन्नर समुदाय की क्या स्थिति थी बाद में मुगल काल में भी अच्छी स्थिति थी तथा उन्हें रखवाली के लिए रखा जाता था। आज इनको सड़कों पर भीख मांगते हुए तथा। शादियों तथा बच्चों के जन्म के समय आशीर्वाद देने की बात की जाती है। इस लेख में बताया गया है कि राधिका नामक किन्नर समुदाय रेलवे स्टेशन के पास रहती है। उसने तानों की वहज से स्कूल छोड़ दिया तथा उसके बाद घर छोड़ दिया तथा अब जीवन यापन के लिए अन्य किन्नर समुदाय के साथ मिलकर सेक्स वर्कर है। इनकी दुनिया में एक पदानुकृम चलता है। जिसमें सबसे उच्च स्तर पर मुखिया माँ या गुरू या दलाल होती है उसकी उम्र 40 से 50 वर्ष के मध्य होती हे। इनकी दुनिया में पिरामिड़ के आकार का पदानुकृम होता है। गुरू जवान किन्नर समुदाय की सहायता करता है। पूजा (28 वार्षीय) ने बताया कि वह अन्य के साथ बहनों की तरह रहती है, अर्थात् यहाँ सामाजिक सम्बन्धों का वर्णन किया गया है।

डिविनिटी स्कूल (2018) "हिन्दूइज्म केस स्ट्डी – जेण्डर दि थर्ड जेण्डर एण्ड हिजड़ा" इस अध्ययन में बताया गया है कि तीसरे लिंग से सम्बन्धित सबूत रामायण व महाभारत में पाये जाते है जहां अर्जुन तीसरे लिंगी बने थे। मुगल काल में भी तृतीय लिंग की स्थित ठीक मिलती है 2014 के अनुसार भारत में 3 मिलियन तीसरे लिंग के लोग पाये जाते हे। दक्षिणी एशिया में थर्ड जेण्डर में मुख्यतः किन्नर को

रखते है। किन्नर अक्सर पुरूष के रूप में जन्म लेते है लेकिन दिखने में और कपड़ों से महिला की तरह होते है बहुत (लेकिन सभी नही) से किन्नर वन्ध्याकरण अनुष्ठान में पुरूष इन्द्रियों को हिन्दू बहुचरा माता को चड़ा देते है।

भारतीय समाज में ज्यादातर किन्नर खुद को तीसरे लिंग में मानते है। न तो पुरूष न महिला और न ही संक्रमणकालीन। इनकी दुनिया में गुरू–शिष्य वाली परम्परा चलती है। ये रोजगार और शिक्षाविहीन होते है। परिणामस्वरूप गरीबी के कारण भीख मांगते है, और वैश्यावृत्ति में लिप्त हो जाते है। ये अक्सर हिंसा व गालियों के शिकार होते है साथ ही पुलिस द्वारा इनका शोषण किया जाता है। समाज द्वारा इनके साथ किये गये व्यवहार को दर्शाया गया।

रे (2018) – ने अपने लेख "दे टू : ह्वाट अबाउट मैन एण्ड दि थर्ड जेण्डर" बताया कि भारत में कार्यस्थल पर किन्नर समुदाय (किन्नर) समुदाय का शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न होता है इसी कारण राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अनुसार 92 प्रतिशत किन्नर समुदाय (किन्नर) किसी अधिकारिक रोजगार में संलग्न नही है। द्वितीयक आंकड़ों के द्वारा बताया गया है कि समाज में किन्नर के लिए अभी मित्रवत या मिलनसार नजरिया नही बना है। आम नागरिक अभी किन्नरों को सामान्य इंसान मानते ही नही है इसलिए समाज में उनकी स्वीकारोक्ति नही है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जाति, धर्म, रंग, लिंग, नागरिकता इत्यादि के आधार पर भेदभाव नही किया जा सकता। उच्चतम न्यायालय के 2014 के फैसले के बाद किन्नरों का समाज में 'थर्ड जेण्डर' या तीसरे लिंग का दर्जा प्रदान किया गया है। अतः अन्य नागरिकों की तरह किन्नरों को मौलिक अधिकारों की प्राप्ति है। कानूनी रूप से किन्नरों को सारे अधिकार प्राप्त है लेकिन सामाजिक तौर पर इनकी स्वीकारोक्ति होनी चाहिए।

स्वीकृति (2018) – (अ. स्कीम फोर प्रमोशन ऑफ ट्रांसजेण्डर इक्वेलिटी एण्ड जस्टिस) सोशल सोसाइटी एण्ड इम्पोरमेन्ट ऑफ परसन्स दि डिसएविलिटीज (SEPP) डिपार्टमेन्ट, गवर्मेन्ट ऑफ इण्डिया। उड़ीसा के प्रमोशनल लेख में बताया गया है कि तृतीय प्रकृति के तौर पर किन्नर की पहचान भारतीय इतिहास में मिलती है। मुगलकाल में भी किन्नर समुदाय की स्थिति बेहतर थी लेकिन ब्रिटिश काल के क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 से किन्नर किन्नर समुदाय के अधिकार समाप्त किये गये तथा समुदाय की सामाजिक स्थिति बदतर होती चली गयी।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय 2013 के अनुसार किन्नर समुदाय को जीवन के हर क्षेत्र में – स्वास्थ्य, स्कूल, कॉलेज, रोजगार, सामाजिक योजनाओं इत्यादि में भेदभाव झेलना पड़ता है। ह्यूमैन राइट्स लॉ नेटवर्क 2015 में उड़ीसा में किन्नर समुदाय को मूलभूत जरूरतों के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। उड़ीसा में स्वीकृति नामक स्कीम किन्नर के लिए शुरू की गयी। इस स्कीम के तहत किन्नर समुदाय के लिए मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करने के बात की गयी है। इस समुदाय के लिए बहुपयोगी स्मार्ट कार्ड देने की बात की गयी। जिससे उनकी सामाजिक, आर्थिक, व्यवसायिक, शैक्षणिक सेवाओं में भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सके।

नासकर, रॉय, नासकर तथा गुप्ता :– (2018) इस "इन असेसमेन्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ट्रांसजेण्डर अडल्ट इन एन अर्बन एरिया ऑफ वर्दमान डिस्ट्रिक बेस्ट बंगाल" लेख में बताया गया है कि समाज में हर स्तर पर किन्नरों के साथ भेदभाव हो रहा है। बंगाल के बर्दमान जिले के किन्नरों का क्रोस सेक्सनल (Cross-sectional) अध्ययन पद्धत्ति के द्वारा 79 किन्नरों का अध्ययन किया है। इसमें अध्ययन कर्त्ताओं ने सिम्पल रेंडम प्रतिदर्शन (Sampling) को अपनाया है, तथा बर्दमान जिले में रहने वाले किन्नर के जीवन की गुणवत्ता (Quality of life) का अध्ययन किया है। इसमें चार आधार तैयार किये गये है – शारीरिक स्वास्थ्य, मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य सामाजिक सम्बन्ध तथा पर्यावरणीय सम्बन्ध।

इस अध्ययन से यह पता चला कि किन्नरों की जिंदगी में सामाजिक और कानूनी सकारात्मक बदलाव आ रहे है। 56.9 प्रतिशत किन्नरों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आया है। तथा समाज में इनकी प्रति सोच सकारात्मक भी है। जिससे किन्नर समुदाय में सुधार हो पायेगा।

गपाट (2018) ने अपने लेख '21वीं' सदी की कहानियों में किन्नर विमर्श में किन्नरों की सामाजिक स्थिति का चित्रिण किया है। किन्नरों को न्यायपालिका ने तीसरे लिंग (थर्ड जेंडर) का दर्जा प्रदान किया है लेकिन अभी किन्नर हाशिये पर पड़े है। मा–बाप के साथ समाज भी उन्हे नकार रहा है। सरकार द्वारा उन्हें सुविधाऐं दी गयी लेकिन अज्ञानतावश वे अपने अधिकारों का उपयोग नही कर पा रहा है।

भारत के विभिन्न राज्यों में किन्नरों की स्थिति, संस्कृति और उनसे जुड़ी परम्पराऐं अलग–अलग हैं ऊर्दू व हिन्दी में इनके लिए हिजड़ा शब्द प्रयुक्त होता है। मराठी में हिजड़ा और छक्का शब्दों का प्रयोग

उनके लिए होता है गुजराती में उन्हें पावैया व पंजाबी में खुसा या जनखा तथा तेलगू में कोज्जा, मादा और नपुसंकुडु शब्दों का प्रयोग मिलता है। आज विश्व धरातल पर मानव अधिकारों की चर्चा ने आन्दोलन का रूप ले लिया है, तथा किन्नरों को समाज की मुख्य धारा में लाने की अनेक कोशिशें हो रही है। चिकित्सा के माध्यम से पुरूष या स्त्री बनने का विकल्प मिल रहा है। और बच्चा गोद लेने का अधिकार भी उन्हें दिया जा रहा है।

समस्या का कथन – भारतीय समाज में किन्नर समुदाय की आबादी मात्र 4.9 लाख है जो कुल जनसंख्या का मात्र 0.04 प्रतिशत है। इनका स्थायी आवास न होने की वजह से इनकी सरकारी दस्तावेज बनने में परेशानी होती है। परिणामस्वरूप किन्नर समुदाय की राजनीतिक भागीदारी काफी कम है। किन्नर समुदाय समाज के हाशिये पर स्थित है, जिसे उच्चतम न्यायालय में 15 अप्रैल 2014 को तीसरे लिंग (थर्डजेंडर) का स्थान दिया। सरकारी प्रयासो के बाद भी किन्नर समुदाय की अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किन्नर वर्ग की साक्षरता दर मात्र 46 प्रतिशत है जो कि सामान्य साक्षरता दर 74.04 प्रतिशत से काफी कम है। भारत जैसे विकासशील देश में जहां आजीविका के साधन काफी कम है वही दूसरी तरफ किन्नरों की आजीविका शादी–विवाह, बच्चा होने जैसे मंगल कार्यक्रमों पर आश्रित है। वही दूसरी तरफ नकली किन्नर (अबुआ) इनकी आजीविका के लिए गंभीर चुनौती बनते जा रहे है। आजीविका की समस्या के कारण ही कुछ किन्नर वैश्यावृत्ति में लिप्त हो जाते है परिणामस्वरूप एड्स जैसी गम्भीर बीमारी से ग्रसित हो जाते है।

अतः हमारे मध्य रहने वाले ये मानव जिस विषम त्रासद परिस्थितियों में मात्र जीवन जीने के लिए जूझ रहे है शायद हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इस प्रकार किन्नर समुदाय की समस्याऐं बहुआयामी है। अतः इनके लिए बहुस्तरीय कार्यनीति की आवश्यकता है। किन्नर समुदाय का मानना है कि यदि उन्हें औपचारिक शिक्षा मिलती और समाज का दृष्टिकोण उनके प्रति सकारात्मक होता तो वे सामान्य लोगों की तरह जीवन बिता रहे होते। किन्नरों की सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक स्थिति समाज के लिए गंभीर चुनौती है। इसी समस्या का निरूपण व अध्ययन समस्या के रूप में किया गया है।

उद्देश्य :–

- भारतीय किन्नर समुदाय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना।
- किन्नरों की स्थिति सुधारने के लिए किये गये सवैंधानिक प्रावधान एवं सरकारी प्रयासों का अध्ययन करना।
- किन्नर समुदाय की सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक प्रस्थिति का अध्ययन करना।
- सामाजिक व राजनैतिक समावेशन में उत्पन्न चुनौतियों का अध्ययन करना।
- संवैधानिक प्रावधानों व सरकारी प्रयासों के प्रति किन्नरों की जागरूकता का अध्ययन करना।

परिकल्पना :–

- इतिहास में किन्नर समुदाय को सम्मानीय स्थान प्राप्त था।
- संवैधानिक प्रयासों से किन्नर समुदाय को एक पहचान मिली है।
- किन्नर समुदाय की सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक स्थिति दयनीय है।
- किन्नर समुदाय का मुख्य धारा में शामिल न होने का कारण सामाजिक अस्वीकार्यता है।
- किन्नर समुदाय में संवैधानिक प्रावधानों तथा सरकारी प्रयासों के प्रति जागरूकता का आभाव है।

अध्ययन का महत्व

समतामूलक समाज होने के लिए आवश्यक है कि समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित की जाये। लेकिन वर्तमान समय में किन्नर समुदाय की समाज में भागीदारी नगण्य है, और जब तक किन्नर समुदाय का सामाजिक समावेशन नहीं होगा तब तक किन्नर समुदाय को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय प्राप्त नही होगा।

किन्नर समुदाय समाज में जन्म से लेकर मृत्यु तक विषम परिस्थितियों में जीने को मजबूर होते है। सामाजिक बहिष्करण से लेकर शैक्षणिक स्थिति, राजनीतिक भागीदारी इत्यादि उसकी मूल समस्याऐं हैं। इस प्रकार यह शोध छात्रों, किन्नर समुदाय, बुद्धिजीवी वर्ग, नीति निर्माताओं के मार्गदर्शन का कार्य करेगा।

अनुसंधान पद्धत्ति :– प्रस्तुत अध्ययन ने व्याख्यात्मक, अवलोकनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध पद्धिति का प्रयोग किया जायेगा।

प्रस्तावित अध्ययन क्षेत्र :– प्रस्तुत अध्ययन उत्तर प्रदेश राज्य के जिला मथुरा पर आधारित है।

जनसंख्या–1524

क्रम संख्या	जनसंख्या	किन्नर जनसंख्या	प्रतिशत
भारत	1210854977	490000	0.04
उत्तर प्रदेश	199812341	137000	0.06
मथुरा	441894	1524	0.06

अध्ययन की इकाई :– प्रस्तुत अध्ययन की इकाई किन्नर है।

तथ्य संकलन के स्त्रोत – तथ्य संकलन हेतु प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों प्रकार के तथ्यों का संकलन किया जायेगा।

प्राथमिक तथ्य – प्राथमिक तथ्यों को साक्षात्कार–अनुसूची द्वारा किया जायेगा।

द्वितीयक तथ्य – द्वितीयक तथ्यों को एकत्रित करने के लिए पुस्तकें, समाचार पत्र, शोध जनरल तथा इंटरनेट का प्रयोग किया जायेगा।

निदर्शन विधि :– निदर्शन विधि का आधार स्नो बॉल विधि का प्रयोग होगा।

अध्याय योजना :–

प्रथम अध्याय

- प्रस्तावना
- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
- साहित्य की समीक्षा
- समस्या कथन
- उद्देश्य
- परिकल्पना
- अध्ययन का महत्व
- अनुसंधान पद्धति

- प्रस्तावित अध्ययन क्षेत्र
- अध्ययन की इकाई
- तथ्य संकलन के स्त्रोत

द्वितीय अध्याय

- किन्नर समुदाय के विकास के लिए संवैधानिक व सरकारी प्रावधान।

तृतीय अध्याय

- किन्नरों की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक प्रस्थिति।

चतुर्थ अध्याय

- किन्नर समुदाय के मुख्य धारा में समावेशन में उत्पन्न चुनौतियाँ।

पंचम अध्याय

- किन्नर समुदाय में संवैधानिक तथा सरकारी प्रयासों के प्रति जागरूकता।

छठा : अध्याय

- निष्कर्ष एवं सुझाव

सन्दर्भ सूची

1. Naskar. P, roy. S.S Gupta. I (2018). An assessment of quality of life of trangender adults in an urbon area of Bardavan district, west Bangal (Internation journal of community medicine and public health)
2. Sawant.N (2017) Transgender: Status in India (kind Edward memorial hospital mumbai)
3. Chakrapani.v and Narayan. A (2012) legal recognition of gender identity of transgender people in India corrent situation and potential option New Delhi.
4. Roy.S, bhutra. M, pathak.E (2016) socil inclusion of transgender population in India-common people peropective (quest journals of research in humanities and social science vul-4 2016)
5. Ghosh. B (2017) Represtation of the Hijra : need for social work intervention, publication at : http//www.researchgate.net

6. Sharma. P, pal N (2014) Transgender in India: Alimented from the society (human right international research journal vol -2)
7. Iyer.S (2017) “The third gender and Indian Law:A brief History" ,Criminal law Guest Posts India Law,Legal Ethics,Blog.ipleader.in
8. Rajkumar(2016) “Education of Transgender in India:Status and challenges" International Journal of Research in Economics and social sciences(IJRESS) vol 6
9. Das.D (2016) “The Transgender citizenry in india:Actors on a Flimsy Ground and legal jurisprudence" International journal for law and legal jurisprudence studies vol
10. Chettiar.A (2015) “problems faced by Hijras (male to Female transgender) in Mumbai with Reference to their Health and Harasment by the police" International journal of social science and humanities vol 5
11. Sagar.T,"Legal Rights of Transgender under the India Law", Blog.ipleader.in
12. Gupta.A,Rajan.A.G (2016) “The Socioeconomic status of transgender people in india," The tech.com
13. Bhandari.A (2018) “Marginalization of transgender in india",Youngbhartiya.com
14. Delliswararow.K,Hangsing.C(2018) “Socio+cultural Exclusion and Inclusion of Transgender in india," International journal of social science and management vol 5
15. Falix.E (2017) “Heres what the world could learn from india third Gender acceptance", Matadornet.work.com
16. Mandoz.L(2017) “Transgender and our society,"the companion.in
17. Babbar.S.K (2016) “A sociolegal exploitation of the third gender in india" IOSR journal of humanities and social science vol 21
18. Parashar.S (2017) “Inclusion of transgender community with in socially and Educationally backward classes;Examining the deeper concerns," Indian law Institute New Delhi
19. Agarwal.S (2017) “Civil and Political Rights of transgender in Indian constitutional perspective" Inernational journal of law and legal jurisprudence studies vol 4
20. Gauba,O.P (1995). Incyclopidia of political throught, national publicing house. New, Delhi.
21. Basu, D.D (2009) Constitution of India, Lexis Nexis Butter worths wadhawa Nagpur.

22. Nath,k (1999) kinaar Dharmlok, Vegdevi Prakashana Bikaner.
23. Kalra, G (2011) Hijras : The unique transgender conture of India, International journal of culture and mental health, vol 5 (2012) issue-2
24. Nands,s (2010) The Hijras of India : Contured and individual dimensions of an institutionalized third gender Rol. Joural of Homosexuality, vol-11, 1986 issue-3-4.
25. Reddy, G (2005) Geographices of contagion, Hijras Kothis, and the politics of sexual marginality in Hyderbad. Journal anthropology, vol-12, 2005 issue-3
26. Madhav,N (2002) 'Yamdeep' Sunil Sahitya Sadan New Delhi.
27. Garg,G. Marwaha, R. (2019) Gender Dysphoria (sexual identity Disorders), state pearl publicshing Philorida
28. Divan, V (2016) trangender social inclusion and equality: a pivotal path to development. Journal of the international aids society. Published online 2016 doe : 10.7448/AS. 19.03.20803.
29. Roy, V (2015) The road looks for third gender, from the hindu.com-delivered by google.
30. Lee, M (2011). 'UN Issue first report of human rights of gay and lesbian people.' UN.News.UN.org.